

लम्बा करने की रेलवे की योजना है ताकि वहाँ 21 बोगी की लम्बी गाड़ियां ठहर सकें। रेलवे ने पटना क्षेत्र में लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए 9.52 लाख रुपये की लागत पर एक सर्वेक्षण भी अनुमोदित किया है। इसमें पटना में कोचिंग सुविधाओं की समीक्षा भी शामिल होगी।

पटना-टाटा एक्सप्रेस गाड़ी तथा पटना-मोकामा यात्री गाड़ी के डिब्बों की संख्या में कमी करना

5120. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना-टाटा एक्सप्रेस गाड़ी तथा पटना मोकामा यात्री गाड़ी में डिब्बों की संख्या कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी० ए० गनी खां चौधरी) :
(क) और (ख) यह सत्य नहीं है। कभी-कभार जब डिब्बे खराब हो जाते हैं तो अपेक्षित बोगियों में कमी आ जाती है परन्तु बाद में उन्हें पूरा कर दिया जाता है।

Alleged Racket in Recruitment of Khalasis in Southern Railway

5121. SHRI B.D. SINGH :
SHRI RASHFED MASOOD :
SHRI BALASAHEB VIKHE
PATIL :
SHRI DAULAT RAM SARAN :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the press report appearing in the Indian Express on 14 July, 1983 re. recruitment of Khalasis in the railway engineering workshop in Arakkonam ;

(b) whether agents have been demanding huge amount for offering job of khalasis ;

(c) whether the constitution of the selection committee was contrary to the established procedure ;

(d) whether there has been alterations in the interview marks of the candidates and an unusual hurry in the despatch of appointment letters and the medical check up ;

(e) whether the General Manager of the Southern Railway transferred the Deputy Chief Engineer, and reverted the Assistant Production Engineer and the Assistant Works Manager who were members of the selection committee ; and

(f) if so, whether any enquiry has been made by Government in the matter, if so, the result thereof and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURY) : (a) Yes.

(b) No.

(c) No.

(d) In a few cases, unauthorised alterations of the interview marks were only detected. Corrective action has been taken thereon.

(e) and (f). The matter was investigated by the Vigilance Organisation of the Southern Railway. On the basis of the investigation report, appropriate action has been taken against the concerned officers resulting in transfer of one and reversion of two others. Disciplinary action against a fourth officer is in progress.

सीतापुर स्टेशन के थोमसन गंज गोदाम घर के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोप

5122. श्री राम लाल राही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके सामने उत्तरी रेलवे के शाहजहाँपुर-सीतापुर ब्रांच लाइन पर सीतापुर के

धोमसन गंज गोदाम घर के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेक मामले प्रस्तुत किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कराई गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उनके खिलाफ तथ्य परक साक्ष्य होने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) :
(क) दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें सीतापुर में धामसनगंज माल कार्यालय के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

(ख) और (ग) एक शिकायत की जांच किये जाने पर आरोप सिद्ध न हो सका। दूसरी शिकायत की जांच की जा रही है।

“अयोग्य घोषित होने के बाद भी
डाक्टरों की प्रैक्टिस जारी”
शीर्षक से समाचार

5123. श्री जगपाल सिंह :
श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1983 के नवभारत टाइम्स में ‘अयोग्य घोषित होने के बाद भी डाक्टरों की प्रैक्टिस जारी’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1982 और 1983 में ऐसे कितने डाक्टर राज्यवार अयोग्य घोषित किये गये जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ग) कितने डाक्टरों को सजा के योग्य ठहराया

गया (पीनलाइज) तथा उनमें से कितनों को दण्ड दिया गया और न्यायालयों में अभी भी कितने मामले लम्बित हैं, कितने डाक्टरों को छोड़ दिया गया है और पुलिस द्वारा कितने मामले दबा दिये गये; और

(घ) लम्बित तथा दबाये गये मामलों को तुरन्त निपटाने के लिए सरकार द्वारा की गई ठोस कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) से (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद ने बतलाया है कि 1982 में पंजाब के 4 तथा पश्चिम बंगाल के 2 डाक्टरों के नाम संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा हटा दिए गए थे। भारतीय चिकित्सा परिषद के पास वर्ष 1983 की सूचना उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली प्रशासन ने बतलाया है कि 15 जुलाई, 1983 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार कुछ व्यक्तियों द्वारा की जा रही कथित अवैध तथा अनधिकृत प्रैक्टिस संबंधी शिकायत की दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रण संगठन द्वारा जांच-पड़ताल की गई थी। यह बतलाया गया है कि इन कथित परिसरों में एलोपैथिक औषधियां नहीं रखी हुई थीं इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियमों का उल्लंघन होता हो।

अवैध तथा अनधिकृत प्रैक्टिस के खिलाफ कार्यवाही मौजूदा कानूनों के उपबन्धों के अनुसार की जा रही है।

Machine went out of order in AIIMS
during Catheterization-cum-Angio
Operations

5124. SHRI A.C. DAS : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state ;